न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 239/2022
जीसीएमएस नं. :–2022/239

धन्नाराम पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।

––अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्ध आदेश दिनांक 22.10.2021
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, पीलीबंगा
प्र. सं. 279/2021 अनवान वाद अन्तर्गत धारा 86 रा0 का0 अधि0 बाबत विधि विरूद्ध हरे वृक्ष काटे पर शास्ति बाबत।

उपस्थितिः–
श्रीमती शकुंतला भाटीवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय दिनांक 26.5.23

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि क्षेत्रिय वन अधिकारी के पत्रांक एफ () राजस्व/435 दिनांक 20.09.2021 के द्वारा सम्पर्क पोटर्ल पर परिवाद श्री सन्दीप कसवाह के सन्दभ में धन्नाराम के द्वारा गांव बड़ोपल बारानी में वन भूमि पर अतिक्रमण करने व खड़े पेड़ों की अवैध कटाई करने के सम्बंध में कार्यवाही करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करे हुए प्रत्येक काटे गये वृक्ष की संख्या के अनुसार 1300/'– रू0 (एक हजार तीन सौ रूपये) शास्ति कायम कर वसूली कार्यवाही करने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आदेश दिये जब्तशुदा पेड़ों की लकड़ी की निलामी करवाई जाकर रकम राज जमा करवाने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपनी भूमि बड़ोपल में किकर टाली के कुल 10 पेड़ों को काटे जाने हेतु दिनांक 10.09.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश किया था, अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अनुमति हेतु पेड़ काटने की रकम जमा करने के आदेश दिये, जिस पर दिनांक 17.09.2021 को अपीलाण्ट द्वारा ई चालान के जरिये 70/– रू0 की राशि फीस के रूप में जमा करवाई गई थी। इस प्रकार समस्त पेड़ अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से अनुमति लकर काटै गये थे यह भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि थी खतदोरी भूमि पर वन अधिकारी को शिकायत करने और उस पर पटवारी की विपरीत रिपोर्ट आने के बावजूद आवेदन पत्र 86 आरटीएक्ट प्रस्तुत करने का अधिकार रेस्पोडेंट को नहीं है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना पारित किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2021 का ज्ञान अपीलाण्ट को किसी भी तरह नहीं था। दिनांक 01.07.2022 को हल्का पटवारी द्वारा यह बताये जाने पर कि आपके खेत में वृक्षों की कीमत निर्धारित की जा रही है और कीमत निर्धारण होने के बाद आपसे इसकी शास्ति जमा करवाई जायेगी, तब अपीलाट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान हुआ। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि धन्नाराम ने वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिसमे खड़े पेड़ों की कटाई अवैध रूप से की गई है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट धन्नाराम द्वारा गांव बड़ोपल बारानी में वन भूमि पर अतिक्रमण करने व खड़ो पेड़ों की अवैध कटाई करने के कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2021 को अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल किये जाने के कारण प्रा0 प0 अन्तर्गत धारा 86 आरटीएक्ट स्वीकार किया है। अप्रार्थी के विरूद्ध 86 (ए) (1) आरटीएक्ट के तहत प्रत्येक काटे गये वृक्ष की संख्या के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अनुसार 1300/– रू0 शास्ती कायम कर वसूली कार्यवाही करने एवं काटे गये वृक्षों की लकड़ी की निलामी करवाई जाकर रकम राज जमा करने के आदेश दिये हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि जिससे पेड़ आदि काटे गये हैं वह उसकी खतोदारी भूमि है, अपीलाण्ट ने तहसीलदार से अनुमति लेने के उपरान्त पेड़ काटे जाना बताया है। जबकि वन विभाग ने प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बताया है। इस विषय पर जांच कर निर्णय पारित किया जाना उचित है कि प्रश्नगत भूमि वन विभाग की है अथवा अपीलांट की खातेदारी भूमि है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.10.2021 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि की जांच कर उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 26.5.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/5/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ